

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग नासिन कॉम्प्लेक्स, सैक्टर – 29, फ़रीदाबाद – 121008 National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue

NACIN Complex, Sector – 29, Faridabad – 121008 फोन/Telephone: 0129-2504652-54

फ़ैक्स/Fax: 0129-2504632

(ई-मेल के माध्यम से)

दिनांक:

.06.2021

फा.सं. II(11) Audit in GST/2021-NACIN महोदया/महोदय,

विषय:- नासिन, फरीदाबाद द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए "Audit in GST" विषय पर दिनांक 16.06.2021 (प्रात: 10:30 AM से अपराहन 04:30 PM) को ऑनलाइन प्रशिक्षण के संबंध में।

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 16 जून, 2021 (प्रात: 10:30 AM से अपराहन 04:30 PM) को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए "Audit in GST" विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

2. अतः यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सीबीआईसी के ग्रुप 'ए' के अधिकारियों को नामित किया जाये। नामांकन केवल अधोलिखित EXCEL प्रोफॉर्मा में ही भेजे जाये। PDF फोरमैट में दिये गए नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Г	Sr.	Name of the	Employee ID	Designation	Place of Posting	Zone	Mobile No.	Email ID (in capital letters)
	No Officer						गारुगम मे ई-मे	

3. नामांकन सकारात्मक रूप से दिनांक 14 जून, 2021 साँय 5 बजे तक केवल ई-मेल के माध्यम से, ई-मेल आईडी- NOMINATION.ISTNACIN@GMAIL.COM पर भेजे जा सकते हैं। वेब- प्लैटफ़ार्म, वेब- लिंक एवं ऑनलाइन सत्र में भाग लेने से संबन्धित अन्य निर्देश, नामांकित अधिकारियों की ई-मेल आईडी पर भेज दिये जाएंगे। अधिकारी साझा किए गए लिंक पर क्लिक कर के प्रशिक्षण सत्र में भाग ले पाएंगे। उपर्युक्त प्रशिक्षण सत्र से संबन्धित किसी भी जानकारी हेतु श्री आर. के. गुप्ता, अपर सहायक निदेशक (Mob. 9013171249) एवं श्री एच.के.मीना, अपर सहायक निदेशक (Mob. 9818282468) से संपर्क किया जा सकता है।

अपर सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषणः

- 1. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क
- 2. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- 3. प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सीबीआई के तहत सभी निदेशालय)
- 4. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
- 5. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क
- 6. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- 7. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, लेखापरीक्षा आयुक्तालय
- 8. सीबीआईसी एवं नासिन वैबसाईट



राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग नासिन कॉम्प्लेक्स, सैक्टर – 29, फ़रीदाबाद – 121008 National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue

> NACIN Complex, Sector – 29, Faridabad – 121008 फोन/Telephone: 0129-2504652-54 फ़ैक्स/Fax: 0129-2504632

(By E-mail)

F. No. II(11)Audit in GST/2021-NACIN

Dated:

.06.2021

Madam/Sir,

Subject: Online training on "Audit in GST" for Group 'A' officers of CBIC on 16th June, 2021 (10:30 AM to 04:30 PM) – reg.

National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics (NACIN), Faridabad is organizing an online training for Group 'A' officers of CBIC on "Audit in GST" on 16th June, 2021 (10:30 AM to 04:30 PM).

2. It is requested to nominate Group 'A' officers of CBIC for the said online training. The details of participants may please be sent in the following table in **EXCEL** format **only**. Nominations received in PDF format shall not be entertained.

Sr. No	Name of the Officer	Employee ID	Designatio n	Place of Posting	Zone	Mobile No.	Email ID (in capital letters)
-----------	---------------------	----------------	-----------------	------------------	------	---------------	-------------------------------------

3. Details of the nominated officers may please be sent by 14th June, 2021 before 5 PM to this office by email only at EMAIL ID: NOMINATION.ISTNACIN@GMAIL.COM with the captioned subject in the subject field of the email. Details of the web-platform, web-link and appropriate instructions for participation in the online training will be sent directly to the participants by e-mail and they can participate in the online training by simply clicking on the link at the designated time. In case of any query/difficulty, Shri R. K. Gupta, Addl. Assistant Director (Mob: 9013171249) and Shri H.K. Meena, Addl. Assistant Director (Mob: 9818282468) may please be contacted.

Yours faithfully,

Additional Assistant Director

To

- 1. The Pr. Chief Commissioners/ Chief Commissioners of Customs (All)
- 2. The Pr. Chief Commissioners/ Chief Commissioners of CGST & Central Excise (All)
- 3. The Pr. Director General / Director General (All Directorates General under CBIC)
- 4. The Chief Departmental Representative, CESTAT, New Delhi
- 5. The Pr. Commissioners/ Commissioners of Customs (All)
- 6. The Pr. Commissioners / Commissioners of CGST & Central Excise (All)
- 7. The Pr. Commissioners/ Commissioners of Audit Commissionerate (All)
- 8. CBIC & NACIN Website